राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक 4(1) ग्रावि / नरेगा / एक्शन प्लान / 2010–11 जयपुर, दिनांकः–

2 2 MAR 2010

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सामग्री मद में व्यय के संबंध में।**

महोदय

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान प्रत्येक पंचायत समिति स्तर एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण किया जाना है। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुरूप हरित सडकों के विकास के कार्य भी किये जाने है। उक्त दोनों कार्यो में सामग्री मद में अधिक राशि व्यय होना निश्चित है, परन्तु योजनान्तर्गत सामग्री मद में अधिकतम 40 प्रतिशत व्यय ही अनुमत है।

अतः यह आवश्यक हो जाता है कि वर्ष के प्रारम्भ से ही कार्य स्वीकृति में इस बात का ध्यान रखा जावे कि सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक ना हो। इस संबंध में जिला स्तर पर प्रत्येक पंचायत समितिवार संभावित स्वीकृतियों, श्रम सामग्री अनुपात का विवरण संलग्न प्रपत्र में तैयार कर लिया जावे ताकि स्वीकृति जारी करने से पूर्व ही यह विवरण प्राप्त हो कि किस पंचायत समिति में कितने प्रतिशत तक सामग्री मद में राशि की स्वीकृतियां जारी की जानी है।

भवदीय,

19/3/10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

वर्ष 2010--11 में संभावित स्वीकृतियों, श्रम सामग्री अनुपा

स.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 09–10 में अधिकतम श्रम दिवस (लाखो में)	वर्ष 10–11 में इतने ही श्रम दिवस प्राप्ति हेतु आवश्यक स्वीकृति (लाखो में)			राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की स्वीकृति (लाखो में)			हरित सडकों की स्वीकृतियां (लाखो में)			कुल जारी स्वीकृतियां (लाखो में)			शेष राशि जिसकी स्वीकृति की जानी है (लाखो में)			श्रम सामग्री अनुपात जो स्वीकृत किया जाना है (लाखो में)		
				श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग